समाचार–प्रकाशनार्थ :–

आयुष्मान कार्ड व सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन कार्य की निगम आयुक्त श्री झारिया ने की समीक्षा कार्य को तेजी से करने के दिये निर्देश

प्रोजेक्टर के माध्यम से कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

निगम द्वारा अब तक 7524 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 11 अक्टूबर । आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति व सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के सत्यापन कार्य की समीक्षा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में करते हुए कहा कि यह शासकीय कार्य होने के साथ ही मानव सेवा का कार्य भी है इस हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण कर रतलाम को नम्बर 1 बनायें।

आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों का सत्यापन शासन निर्देशानुसार मोबाईल एप से किया जाता है इस हेतु वार्ड दरोगा अपने–अपने मोबाईल में एम पेंशन मित्र एप डाउनलोड करे व इसकी आईडी बनाने हेतु समग्र आईडी व आधार कार्ड तत्काल निगम के आईटी सेल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उन्होने कहा कि आईडी बनने के बाद एम पेंशन मित्र पोर्टल पर अपना कार्यक्षेत्र दर्ज करेंगे तो सभी हितग्राहियों की जानकारी मय फोटो के आ जायेगी जिससे सत्यापन कार्य करने में सुविधा होगी। निगम आयुक्त श्रो झारिया ने बताया कि बीपीएल राशन कार्डधारी को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त होता है साथ ही उन्हे आयुष्मान कार्ड बनाने की भी पात्रता है इसलिये दोनो कार्य एक साथ किये जा सकते है।

आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि अपने–अपने कार्यक्षेत्र में जाकर ऐसे हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्ड के लिये पात्र ह उन्हे निगम के आईटी सेल में मय दस्तावेजो के भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित् करें इस कार्य के लिये आईटी सेल में 2 शिफ्टों में कम्प्युटर आपरेटरो को नियुक्त किया गया है।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रतलाम नगर में 11 हजार के लगभग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही है जिनका सत्यापन किया जाना है साथ ही रतलाम नगर में 24 हजार हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है इस हेतु नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी तेजी से इस कार्य को पूर्ण करें इसके व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नगर में एलान भी कराया जा रहा है साथ ही पम्पलेट का भी वितरण किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के सत्यापन व आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य का प्रशिक्षण प्रोजक्टर क माध्यम नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिया जाकर कार्य में आ रही परेशानियों का निराकरण किया गया।

आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 से 11 अक्टूबर तक 172 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

गरीब एवं असहाय परिवारेां पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 11 अक्टूबर को 20 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये इस तरह 1 से 11 अक्टूबर तक 172 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7524 आयुमान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन नोडल प्रभारी श्रीमती ज्योति सुनारिया, आयुष्मान कार्ड सहायक नोडल अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहायक नोडल अधिकारी श्रीमती आयुषी पालीवाल, 1 से 49 वार्ड के वार्ड प्रभारी (दरोगा) व उक्त कार्य में नियुक्त कर्मचारी उपस्थित थे।

एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 11 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम के प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन द्वारा 11 अक्टूबर को प्रातः नगर निगम का मोबाईल नम्बर 7471144909 बंद रखने पर एक दिवस का वेतन काटकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 11 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 अक्टूबर को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जगदीश, सूरजबाई, कलीम, जगदीश कालिका माता, शिव सोनकर बाल चिकित्सालय, गंगाराम, गंगा चायवाला, विनोद बाजना बस स्टैण्ड, श्रीराम खण्डेलवाल, वाईन शॉप स्टेशन रोड, सन्नी गीता मंदिर रोड पर 100—100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ—स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

11 अक्टूबर को 1 मिट्रिक टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 11 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर—घर से पृथक—पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले—सूखे कचरे व सड़को व नाले—नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 11 अक्टूबर सोमवार को 1 मिट्रिक टन स अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

11 अक्टूबर सोमवार को डम्पर से 55310, ट्रेक्टर से 5700, काम्पेक्टर सूखा कचरा 13985, गीला कचरा 33255 किलो इस तरह कुल 108250 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1641 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 11 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 1597 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/— तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 44 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/— ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 30 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण पारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 11 अक्टूबर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक—एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 11 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक—एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 11 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के पत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/**11.10.2021**/न.पा.निगम, रतलाम.